

कार्यालय

राष्ट्रीय, पारिधिक् शिक्षा परिषद्,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

दस्ता- पारिधिक् परिषद् सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

:कार्यालय उत्तर:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिन्यर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूरे से संचालित किर्लोस्कर राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के अर्थात् पारिधिक् शिक्षा परिषद्, 34 वें संवत्सरे सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में अर्थात् दिनांक 02-07-2023 एवं दिनांक 02-09-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिन्यर्स, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदान अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को पारिधिक् शिक्षा परिषद्, 34 वें संवत्सरे द्वारा सत्र 2023-24 हेतु मिम्बराकिल हार्सि के अधीन माध्यमिक एवं उच्च शिक्षित शोध संस्थान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड (REG NO) : 2737-M.G.B.RAJAT COLLEGE OF PHARMACY AND MANAGEMENT		राज्य/राज्यीय/राज्यीय संस्था के लिए परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित सीटें	
संस्था	संस्था का नाम	संस्था	संस्था
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ पारिधिक् शिक्षा, अनुसन्धान उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/15-2009/20002 टीएजी-1 दिनांक 18 मई 2003 द्वारा पूरे से संचालित संस्था संस्थाओं को उनके के विद्यमान संस्थानों में अखिल पारिधिक् शिक्षा परिषद् (2023) से सम्बन्धी सम्बन्धों के अतिरिक्त निर्णय के अर्थात् सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिन्यर्स, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंजिन्यर्स, नई दिल्ली के संवत्सरे अनुक्रम संस्थाओं में समस्त संस्थाओं (शुक्ति, शक्ति, सेवा, सेवा, सेवा) अति सम्बन्धी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश पारिधिक् शिक्षा परिषद् एवं 1962 तथा पारिधिक् शिक्षा परिषद् विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, संशोधन विनियमवली-2010 तथा संवत्सरे 14 निर्मित सम्बद्धता के अनुसन्धान करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही सम्बन्धी संस्थाओं में प्रदान किया जायेगा। संस्थाओं के अतिरिक्त संस्थाओं के शुल्क के सम्बन्ध में सम्बन्धी संस्थाओं द्वारा निर्णय किये जाने वाले सम्बन्धी संस्थाओं को, और सम्बन्धी संस्थाओं के लिए

संस्था का समर्थन होगा। नीचे निर्दिष्ट समिति द्वारा यदि वर्ष 2023-24 हेतु नीचे का अनुशासन किया जाता है, तो नीचे की शर्तियाँ पूरी होंगी।

- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित कार्य को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट आकाशवाणी के अनुशासन निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थाएं अन्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट विधिविधायी/अधिविधायी/आकाशवाणी/निर्देशी एवं निदेशक, अधिपिक शिक्षा, उ०प्र०, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी हैं।
- ✓ यदि संस्थाएं का अधिन आदेशीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्यीय सांख्यिक ग्रीक इण्डिया, नई दिल्ली ने अनुमोदित विस्तृत किया जाता है तो इस संबंध में समस्त अनुशासित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद्, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, अधिपिक शिक्षा निदेशात्मक एवं अधिपिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम किया जाता है तथा कदम काट के संभव से भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की इतिवृत्ति संबंधी जटिल निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को भारी होगी।
- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश नवमंत्र द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु सांख्यिकि प्राप्त होने के पूर्व अधिन आदेशीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/राज्यीय सांख्यिक ग्रीक इण्डिया, नई दिल्ली ने अनुमोदित फॉर्म पर परिषद् कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट नवमंत्र आदेश निर्देशों का अनुशासन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के वेबसाइट पोर्टल पर समय की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की परिष्कारित पृष्ठि भूमि, सफल, सफल-सफल, उपकरण, धान किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विवरण-परिष्कार हेतु उपयुक्त साक्ष्य/उपलब्ध कर्तव्य के साथ विहित दस्तावेजों के सम्बन्ध में समस्त उत्तरदायी व्यवस्था इतिवृत्त करनी होगी।
- ✓ संस्था का इतिवृत्त हो जे कि संस्था में परमाधिकार/अधिकार पदनामक को धारण करने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्य को अधिन, भूमि-आधार, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पदनामक के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो नवमंत्र संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने वाले की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा समिति/अधिपिक शिक्षा, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता। विनियमावली, 2009 के अधिनानुसार परिषद् की संन पर जारी कार्यवाही, अर्जा और कार्यवाही को परिषद् को परीक्षा के संचालन से लिए परिषद् के अधिन में रखेंगे।
- ✓ संस्था के अधिकार-स्थायी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, सफल, परीक्षावास, उपकरण एवं अन्य सफल-सफल परमाधिकार/अधिकार/अधिकार/अधिकार/परिषद् के समस्तानुसार उपलब्ध नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्ध नती का अनुशासन न किये जाने अथवा नती का उत्तरदायी किये जाने की विधी में विवरणानुसार अनुशासनानुसार कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

2007

... ..

100

100